

विधायक/संसद सदस्य क्षेत्र संख्या.....

महिला एवं बाल विकास विभाग

रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार
1, केनिंग लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर्थिक सहायता अनुभाग

गरीब विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता के लिये आवेदन पत्र
(यह सहायता केवल दो कन्याओं तक सीमित है)

निःशुल्क

प्रार्थी का
नवीनतम
पासपोर्ट
आकार का
सत्यापित
फोटो

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. स्थाई पता.....
.....
4. वर्तमान पता (राशन कार्ड की सत्यापित प्रति या मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
.....
.....
5. दिल्ली में निवास की अवधि है : वर्षमाह.....
6. पुत्री का नाम.....
7. पुत्री की जन्मतिथि व आयु.....
(स्कूल से प्राप्त सर्टिफिकेट या नगर निगम द्वारा जन्मतिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. पुत्री के विवाह की तिथि.....(शादी का कार्ड संलग्न करें)
9. प्रार्थी का व्यवसाय एवं उस पर आश्रितों सहित उसकी कुल मासिक आय.....
(क्षेत्राधिकार राजस्व अधिकृत द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. पति की मृत्यु की तिथि व स्थान (सरकार द्वारा जारी मृत्यु का प्रमाण-पत्र की सत्यापित कापी संलग्न करें।)
11. दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम व पूर्ण पते, जो अपने क्षेत्र के हो। (संबंधित रिश्तेदार न हों।)
 1.हस्ताक्षर.....
 2.हस्ताक्षर.....
12. दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका व अन्य किसी स्रोत से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि का विवरण.....

दिनांक.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
पूरा पता

घोषणा

मैं श्रीमती.....पत्नी स्व० श्री.....
घोषित करती हूँ कि मैंने पूर्व में इस योजनान्तर्गत कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं की है एवं उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है तथा मैंने दूसरी शादी नहीं की है। यदि उपरोक्त जानकारी में कुछ तथ्य छिपाया गया है या असत्य पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा तथा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

संसद सदस्य/सदस्य, दिल्ली विधान सभा की सिफारिश

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्रीमती.....पत्नी स्व० श्री.....को वर्ष.....से जानता हूँ इनके द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है। मैं इनको उनकी पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की सिफारिश करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर व मोहर

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

जॉचकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

स्वीकृति का नम्बर.....

स्वीकृति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

तिथि.....

प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या एवं वर्ष.....

प्रार्थी का नाम श्रीमती.....

हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता.....

नाम एवं पद.....

जिला का नाम एवं पता.....

Financial Assistance to Poor Widows for Marriage of their daughters and financial Assistance for orphan girl for their marriage

Application must be deposited before or after 60 days of marriage only at District offices, of Social Welfare & Women and Child Development.

Eligibility conditions for Financial Assistance:

- 1) The applicant must be a bonafide resident of the National Capital Territory of Delhi for at least five years preceding the date of application.
- 2) The age of daughter should not be less than 18 years,
- 3) The annual income of the applicant should not exceed Rs. 60,000/-;

The following documents shall be attached with the application: -

- 1) A copy of ration card or voter identity card or any other document as a proof of residence, which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi;
- 2) A copy of date of birth certificate of the girl child.
- 3) A self-declaration by the applicant regarding his/her income.
- 4) Death Certificate of husband.
- 5) Marriage Invitation Card or Marriage Certificate.
- 6) A recommended by area MLA/MP or Gazetted officer of State /Central Govt.
- 7) All documents to be attested.